यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** के माह 04/2016 से माह 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान व.ले.प.अ श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री गो वन्द कुमार संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 23.02.2018 से 28.02.2018 तक श्री हिमांशु म ण लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अंशुमन अग्रवाल, नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं पी.के.गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.11.2016 से 19.11.2016 तक श्री राजकुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 10/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वन संबंधी कार्य एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग के अन्तर्गत सीमांकित क्षेत्र,

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	656.72
2015-16	359.45
2016-17	429.33

(ii) (ब) बजट का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)		आ धक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	315.46	315.46	88.93	88.93	-	-
2016-17	-	-	759.36	759.36	806.06	759.34	-	46.72
2017-18	-	46.72	745.87	640.70	1066.53	867.89	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	**प्राप्त `**	**व्यय अधिक्य (+)`**	बचत (-)`
2014-15	IFM	-	426000	426000	-
2015-16	IFM	-	675000	675000	-
2016-17	IFM	-	1509000	1379000	130000
2018-19	IFM	1,30,000	789000	235000	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक → मुख्य वन संरक्षक → वन संरक्षक → उपनिदेशक।

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- **(**राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये**)**

माह 03/2017 एवं 06/2017 को व्यय वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

माह 06/2016 एवं 01/2018 को राजस्व वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो - शून्य

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-152**/201**7**-1**8

व्यय से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-**1** सक्षम प्रा धकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त कए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना **₹23.32**लाख।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न कया जाए जब तक क सक्षम प्रा धकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

कार्यालय प्रभागीय वन धकारी,बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर के वर्ष2016-17 के अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा निर्माण एवं मरम्मत के 8 कार्यों लागत ₹2332000 को बिना सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा ति थ (फरवरी 2018) तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्रा धकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क वत्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सक्षम अ धकारियों को पत्र प्रे षत की गयी है।
अतः सक्षम प्रा धकारी द्वारा ₹2332000 की स्वीकृति प्राप्त कए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-152/2017-18

क्रमसंख्या	कार्य का नाम	धनराशि ₹ में
1.	भानमती घेस मार्ग पर पंग्रणी गधेरे में Rcc पुलिया का निर्माण कार्य	500000
2.	आउट हाउस भटियाणा का मरम्मत कार्य	154000
3.	वन क्षेत्राधिकारी आवास देवल का मरम्मत कार्य	250000
4.	गोपेश्वर कुंड कॉलोनी स्थित तृतिए श्रेणी आवासिए भवन का मरम्मत कार्य	44000
5.	कुलसारी सिविल में मलवा निस्तारण हेतु जॉब-i में पार्ट –iv की भक डम्पिंग स्थल निर्माण कार्य	456000
6.	पंती विधुत विभाग कार्यालय के समीप जॉब- 4 में भक डम्पिंग स्थल निर्माण कार्य	420000
7.	टी ओ क्वार्टर / उप प व आवास राडीबगड़ धराली के जीर्णोद्वार	200000
8.	विरीही मोहर्रिर क्वार्टर के ऊपर कछ निर्माण	308000
	योग	2332000

प्रस्तर 2: लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 2.00 लाख।

वभाग में प्रच लत कार्य पद्धति के अनुसारकिसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभागीय वन अ धकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के अ भलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभा वत क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु 160 हेक्टेयर, का चयन कया गया था जिस पर ₹2.00 लाख का व्यय कया गया है। इन क्षेत्रों के द् वतीय वर्ष उपचार हेतु कोई व्यय कया हुआ नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है क प्रथम वर्ष उपचार पर कये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लेंटाना पुन: उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभा वत करेगा। अत: प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द् वतीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के फलस्वरूप ₹2.00 लाख का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर प्रभागीयवना धकारी ने अवगत कराया क बजट उक्त मद में प्राप्त नहीं हुआ था तथा द् वतीय वर्ष में लेंटाना उन्मूलन हेतु वन क्षेत्रा धकारियों द्वारा बजट की मांग नहीं की गयी।

विभाग में प्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार किसी विशेष स्थान पर प्रथम वर्ष में किए गए लेंटना उन्मूलन की सफलता हेतु द्वितिय एव तृतीय वर्ष में उन्मूलन किया जाना आवश्यक है अतः प्रभाग द्वारा द्वितीय एव तृतीय वर्ष में उसी स्थान पर लेंटाना उन्मूलन न कराये जाने के कारण व्यय निष्फल रहा।

अत: ₹ 2.00 लाख के निष्फल व्यय का उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2 ब

प्रस्तर- 3 **₹1.13**लाख के उपकरणों का अनिय मत क्रय कया जाना ।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति (संशोधन) नियमावली 2015 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर 50,000 से अ धक तथा 3.00 लाख की लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामाग्री का क्रय वभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समु चत स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय स मति की संस्तुतियों पर कया जा सकता है।
कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर की D-2 (स्टॉक रजिस्टर) पंजिका की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा ₹**112900** के solarlightingsystemका क्रय बिल स. 1752,1753,1754 द्वारा एक ही दिनांक 27.03.17 को एक ही क्रेता से टुकड़ों में कया गया तथा उक्त उपकरण को क्रय करने के लए उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली के अनुसार कोटेशन प्र क्रया नहीं अपनायी गयी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क समस्त खरीद भन्न-2 समय पर की गयी है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वभाग द्वारा समस्त खरीद एक ही दिनांक 27.03.17 को एक ही क्रेता से की गयी है।अतः उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली के अनुसार कोटेशन प्र क्रया न अपना करसमस्त खरीद एक ही क्रेता से की गयी है। अतः प्रस्तर को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर- 4 जमानत न जमा कराया जाना ₹ 41500

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया क निम्न ल खत अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनरा श जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनरा श	जमा धनरा श	अवशेष धनरा श
1.	श्री देवेंद्र संह सजवान	वन आरक्षी	4000	0	4000
2.	श्री तोता राम	वन दरोगा	6000	0	6000
3.	श्री भास्करनन्द सती	वन दरोगा	6000	0	6000
4.	श्री मक्खन लाल	वन दरोगा	6000	5000	1000
5.	श्री जमन संह	वन दरोगा	6000	4000	2000
6.	श्री नरेंद्र डूंगरियाल	वन आरक्षी	4000	0	4000
7.	श्री मंगल संह	चौकीदार	500	0	500
8.	श्री नारायण दत्त	रेज़िन चौकीदार	3000	0	3000
9.	श्री रमेशचन्द्र नौटियाल	वन दरोगा	3000	0	3000
10.	श्री श्रीशचन्द्र मश्रा	वन दरोगा	6000	0	6000
11.	श्री भुवन चन्द्र संह	वन दरोगा	6000	0	6000
योग					**₹ 41500**

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जमानत जमा की धनरा श जमा कराने की कार्यवाही का आश्वाशन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
07/2009-10	-	04
17/2011-12	01	01,02
114/2014-15	02	01
15/2016-17	01,02	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

व्यय से संबंधत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
17/2011-12	01	-
114/2014-15	01	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-	-	-	-	-

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः
2. सतत् अनिय मतताएः
3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री एस.एन. पाण्डेय	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व